FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– ......125...... / 2024

किस्म प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बाबत रि–ओपन करने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 24 / 1987 उनवानी चतुर्भुज सिंह आदि बनाम ग्राम पंचायत त्यौन्दा आदेश दिनांक 15.01.1991

नारायण सिंह पुत्र चतुर्भुज सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणा तन् त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0) व अन्य

– ब ना म –

ग्राम पंचायत त्यौन्दा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत त्यौन्दा जिला झुंझुनूं (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2024	आज यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत बाबत रि–ओपन करने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 24 / 1987 उनवानी चतुर्भुज सिंह आदि बनाम ग्राम पंचायत त्यौन्दा आदेश दिनांक 15.01.1991 प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री ग्यारसीलाल गूर्जर एडवोकेट ने पेश किया। एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। हस्तगत प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 24 / 1987 उनवानी चतुर्भुज सिंह आदि बनाम ग्राम पंचायत त्यौन्दा दिनांक 15.01.1991 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 9 नियम 3 के तहत (अदम हाजरी अदम पैरवी में) खारिज हुआ है। आदेश 9 नियम 9 का सुक्ष्म अध्ययन करने पर पाया कि आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत खारिज प्रार्थना पत्र को आदेश 9 नियम 9 के तहत रि–ओपन करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब को कन्डोन करने के लिए दिन–प्रतिदिन का भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का हस्तगत [illegible] पत्र आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 [illegible] आदेश दिनांक 15.01.1991 के परिप्रेक्ष्य [illegible] सुनवाई क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण [illegible] से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमा[illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी, खेतडी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला–नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:20:41 IST
Reason: SelfAttested